

फर्द अहकाम

आदालत- जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकाम-गंगापुर सिटी

भोरया बनाम समय सिंह

कि.मु.- मुतफर्रिक धारा 235 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं०.....12.....सन्. 2023

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
023	<p>राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(18)राज-1/2022-(14) दिनांक 5.8.2023 के द्वारा गंगापुर सिटी नवगठित जिला घोषित होने के कारण यह पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर करौली से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावें एवं संबंधित पक्षकारान को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक ...26.9.23.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>26.9.23 पत्रावली पेश हुई। जालीगंज की ओर से श्री (पुत्री) इन्द्र प्रसाद शर्मा (उप) ने तलब करवाया कि जिला को प्राप्त है। प.० (राज्य) द्वारा पत्रावली को पेश है। पत्रावली दिनांक 29.9.22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>29-9-23 पत्रावली पेश हुई। जालीगंज की ओर से श्री (पुत्री) इन्द्र प्रसाद शर्मा (उप) करीब जाली ने आवान कराया की जालीगंज के जालीगंज पत्रावली को (कोने) चलाना चाहते हैं। Not Press में खारिज कराना चाहते हैं।</p> <p>अतः जालीगंज की सहमत है। आधार पर जालीगंज का जालीगंज पत्रावली धारा 235 आर.टी.एक्ट द्वारा रजिस्टर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के तलब शर्मा को नम्बर के जालीगंज को तलब दाखिल रखा है।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (राज०)</p>	<p style="text-align: right;">Not Press <i>[Signature]</i></p>